राजस्थान सरकार
आयुर्वेद विभाग

क्रमांकःनि.स./आयुर्वेद/2011 दिनांकः 20–12–2011

समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– राज्य के सेवारत् चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सुविधाओं के सम्बधं में।

———

उक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के जिला कलेक्टर से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के सेवारत चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सकीय व्यवस्था हेतु जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अत्यावश्यक चिकित्सा सुविधा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सा संस्थानों में वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्थाओं की अपरान्ह 02.00 बजे एंव सांयकाल 08.00 बजे रोजाना मॉनिटरिगं की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला कलेक्टर एंव स्वास्थ्य विभाग के राज्य नियंत्रण कक्ष दूरभाष नम्बर 0141–2225624/2225000 पर आवश्यक रूप से अवगत करावें। उक्त वैकल्पिक व्यवस्था चिकित्सकों के प्रस्तावित सामूहिक कार्य बहिष्कार एंव अनिश्चितकालीन अवकाश अवधि के लिये प्रभावी रहेगी।

प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

प्रमुख शासन सचिव,